वित्त समिति की 21वीं बैठक
(संलग्नक)

दिनांक :.....................

समयः ......

स्थान : कुलपति कार्यालय, रजत जंयती भवन

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (म.प्र.)

बैठक में उपस्थित सदस्य

1.	प्रो.नरेश चन्द्र गौतम कुलपति, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	अध्यक्ष
2.	डॉ. अजय कुमार प्रभारी कुलसचिव, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	सचिव
3.	श्री आर.के. प्रजापति संयुक्त संचालक, पेंशन प्रकोष्ठ रीवा सम्भाग, रीवा (म.प्र.)	सदस्य
4.	इ. सच्चिदानंद ओझा प्रभारी लेखानियंत्रक, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	सदस्य

आमंत्रित सदस्य

5.	इ. सी.पी. बस्तानी प्रभारी यांत्रिकी इकाई, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	सदस्य
6.	इ. रमाकान्त त्रिपाठी सहायक अभियन्ता, यांत्रिकी इकाई, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	सदस्य
7.	इ. धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी कय अधिकारी,, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट	सदस्य

वित्त समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रस्ताव कमांक	विवरण	संलग्नक
	वित्त समिति के सम्माननीय सदस्यों का स्वागत – **वित्त समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है।**	
20.1	**प्रस्ताव : वित्त समिति के 19वी. बैठक की पुष्टि–** **विवरण :** विश्वविद्यालय में दिनांक 19.05.2021 को 12:30 बजे वित्त समिति की 19वीं बैठक (VIRTUAL) का आयोजन किया गया था। उक्त का कार्यवृत्त संलग्न है। अतः पुष्टि हेतु प्रस्तुत। **निष्कर्ष :** पुष्टि की जाती है।	(01)
20.2	**प्रस्ताव : विश्वविद्यालय में आयोजित बिल्डिंग समिति (तीन बैठक) की बैठकों का प्रस्ताव।** **विवरण :** 57वीं प्रबन्ध मण्डल पश्चात् तीन बैठक विल्डिंग कमेटी की आहूत की गई। (अ) 1) बैठक दिनांक 14.03.2021 विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यो सम्बन्धित 08 बिन्दु पर विचार किया गया एवं प्रस्ताव स्वीकृत कर प्रेषित किया गया। (विवरण संलग्न है) 2) बैठक दिनांक 04.06.2021 को निर्माण सम्बन्धित 02 बिन्दुओं पर विचार किया गया एवं प्रस्ताव स्वीकृत कर प्रेषित किया गया। (विवरण संलग्न है) 3) बैठक 12.08.2021 को विश्वविद्यालय में निर्माण संबंधी 04 बिन्दुओं पर विचार किया गया एवं प्रस्ताव स्वीकृत कर प्रेषित किया गया। (विवरण संलग्न है) (ब) कय विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कय की जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत। (विवरण संलग्न है) **निष्कर्ष :** उपरोक्त दोनों प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं प्रबन्ध मंडल की ओर प्रेषित।	(02)
20.3	**प्रस्ताव : विश्वविद्यालय के वाहन कमांक एम.पी. 19 सी.ए. 6395 से दुर्घटना होने के कारण मरम्मत कार्य में वर्ष 2015–16 में आय अधिक व्यय की सक्षम स्वीकृति हेतु।** **विवरण :** 1) वाहन एम.पी. 19 सी.ए. 6395 से दुर्घटना के कारण कुल राशि रू. 1,24,249=00। 2) दुर्घटना बीमा से प्राप्त होने वाली राशि रू. 84,749=00	(03)

	3) शेष राशि (1) – (2) = रू. 39,500=00 4) सत्र 01.04.2015 से लेकर 31.03.2015 तक व्यय होने वाली राशि रू. 35,562=00 5) सत्र 2015–16 में कुल व्यय राशि रू. 75,052=00 6) एक वर्ष में शासन द्वारा व्यय सीमा रू. 20,000=00 7) अतः सत्र 2015–16 में अधिक व्यय राशि रू. 55,052=00 उक्त राशि स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल की ओर प्रेषित। **निष्कर्ष** : उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मंडल की ओर प्रेषित।	
20.4	**प्रस्ताव : म.प्र. प्रेस क्लब द्वारा "आरोग्य मंथन" जनवाणी अभियान में सहभागिता एवं उसमें निवेश राशि रू. 25,000=00 की स्वीकृति हेतु।** **विवरण** : दिनांक 10 नवम्बर को सतना प्रस्तावित कार्यक्रम "आरोग्य मंथन" अन्तर्गत "कोरोना कल आज और कल" में विश्वविद्यालय द्वारा सहभागिता निभाई गई एवं इसमें निवेश राशि बतौर एसोसिएट स्पान्सर रू. 25,000=00 किया गया। **निष्कर्ष** : उक्त राशि को स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल की ओर प्रेषित।	(04)
20.5	**प्रस्ताव : विश्वविद्यालय सम्बन्धी संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 अवलोकनार्थ प्रस्तुत।** **विवरण** : क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा का विश्वविद्यालय संबंधी प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का दिनांक 09.09.2021 को प्राप्त हुआ है। पूर्व के निर्देश एवं सुझावों के साथ उक्त प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल के पटल पर रखने हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत है। **निष्कर्ष** : प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।	(05)
20.6	**प्रस्ताव : दिनांक 01.01.2016 से लागू सातवें वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति/दिवंगत को उपादान (ग्रेज्युटी) दिये जाने के सम्बन्ध में।** **विवरण** : मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक एफ 9–13/17/नियम/चार दिनांक 26.10.2017 के बिन्दु कमांक (2) (ख) के अनुसार सेवानिवृत्ति/दिवंगत को उपादान (ग्रेज्युटी) की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की गई है। अतः विश्वविद्यालय में	(06)

	कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से लागू सावें वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति/दिवंगत को उपादान (ग्रेज्युटी) की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **निष्कर्ष** : प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।	
20.7	**प्रस्ताव** : **अन्य कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से।** 1. **कार्यपरिषद एवं केन्द्रिय समितियों या कुलपति चयन समिति सदस्यों का मानदेय बढ़ाये जाने विषयक – समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यपरिषद के अशासकीय सदस्यों को रूपये 5000/– का भुगतान समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु मान्य किया गया है, जो प्रचलन में है।** **विवरण** : **उपरोक्त प्रस्ताव समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।** **निष्कर्ष** : प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित। 2. विश्वविद्यालय की इस वर्ष की वित्तीय स्थिति का प्रस्ताव। **विवरण** : उपरोक्त प्रस्ताव संलग्नक अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत है। **निष्कर्ष** : वित्तीय स्थिति का प्रस्ताव अवलोकन किया गया एवं इस निष्कर्ष पर पहूँचे कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय को अपने खर्च हेतु लगभग 30.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष शासन से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अतः प्रस्ताव प्रबंध मंडल की ओर प्रेषित।	(07)

(हस्ताक्षर) 17/7/21 **अध्यक्ष** प्रो. नरेश चन्द्र गौतम कुलपति म.गां.चि.ग्रा.वि., चित्रकूट	(हस्ताक्षर) **सचिव** डॉ. अजय कुमार प्रभारी कुलसचिव म.गां.चि.ग्रा.वि., चित्रकूट	(हस्ताक्षर) **सदस्य** श्री आर.के. प्रजापति संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)	S. ojha **सदस्य** इं. सच्चिदानंद ओझा प्रभारी लेखानियंत्रक म.गां.चि.ग्रा.वि., चित्रकूट